विधान नियमावली

1–संस्था का नाम : इस संस्था का नाम **सेन्टर फॉर एम्पॉवरमेन्ट ऑफ वीकर सेक्शन (सिअस) (Center for Empowerment of Weaker Section - CEWS)** है व रहेगा।

2–पंजीकृत कार्यालय : इस संस्था का पंजीकत कार्यालय गरिमा कानखेडिया **W/O** मनोज तंवर, क्वार्टर न. 80, Type III, केन्द्रान्चल कॉलोनी, कुडी भगतासनी, जोधपुर।

कार्यश्रेत्र : राजस्थान राज्य तथा राजस्थान के बाहर भी सम्पूर्ण।

3.सस्था के उद्वेश्यः–

1. जाति, धर्म, लिंग सम्प्रदाय आदि का भेद न रखते हुए मानव समाज के सर्वांगीण विकास हेतु कार्य करना।
2. सामाजिक विकास के क्रम में ग्रामीण समुदाय विशेषकर निर्धन वर्गो के कल्याण के लिए कार्य करना जिसमें समाज में व्याप्त आर्थिक, सामाजिक आयामों व विषमताएं दूर हो सके।
3. युवाओं, महिलाओं, वंचित वर्गों को विकास के विभिन्न विषयों में सहयोग व प्रोत्साहित कर विकास की मुख्यधारा से जोड़ना।
4. शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए स्कूल एवं छात्रावासों का संचालन करना व निर्धन वर्ग के छात्र–छात्राओं को तकनीकी व रोजगारोन्मुखी शिक्षा के अवसर प्रदान करना।
5. निराश्रित, दिव्यांग, वृद्व, विधवा, एकल नारी, अनाथ, परित्यकता तथा अन्य उपेक्षित वर्गो के व्यक्तियों के उत्थान हेतु कार्य करना।
6. समाज में पारस्परिक सहयोग, सामुदायिक एकता, नैतिकता एवं मानवीय मुल्यों की स्थापना करना।
7. समाज में व्याप्त कुरीतियों का प्रतिकार करना एवं नशामुक्त समाज की स्थापना के लिए आवश्यक अभियान व नशामुक्त केन्द्र का संचालन करना।
8. प्राकृतिक एवं मानवजनित विपदाओं के समय आवश्यकतानुसार सहायता करना एवं उनके पुर्नवास के लिए कार्य करना।
9. पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए पशुपालकों के साथ में कार्य करना तथा पशुपालन के व्यवसाय से रोजगारोंमुखी अवसर पैदा करना।
10. पर्यावरणीय संरक्षण के लिए कार्य करना तथा पर्यावरण प्रदुषण रोकना व लुप्त हो रही वनस्पति एवं वन्य जीवों का सरंक्षण हेतु कार्य करना।
11. मानव अधिकारों के सरंक्षण के लिए कार्य करना।
12. परम्परागत सांस्कृतिक धरोहरों के रखरखाव एवं संरक्षण हेतु जनसमुदाय को संवेदनशील बनाना तथा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कार्य करना।
13. महपुरूषों के जयन्ती समारोह व परिनिर्वाण दिवस पर सांस्कृतिक व रचनात्मक कार्य, सदभावना दौड़, रन फॉर राइट्स, रन फॉर यूनिटी, रन फॉर इक्वीलिटी, सेमीनार, संगोष्ठी, सम्मेलन, प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन करना एवं विचारों का प्रसार–प्रचार करना।
14. स्वरोजगार हेतु दक्षता, कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा, औद्योगिकी, विज्ञान के आधुनिक प्रयोग एवं शिक्षा, प्रशिक्षण से सम्बन्धित कार्य करना।
15. बालिका शिक्षा, महिला समृद्धि, दिव्यांग, शिक्षण एवं आवास व आवासीय स्कूल/छात्रावास, पुस्तकालय, प्रशिक्षण एवं स्वरोजगार केन्द्र का संचालन करना।

गरिमा कानखेडिया
अध्यक्ष

सचिव

कोषाध्यक्ष

16. सामूहिक विवाह, अर्न्तजातीय विवाह, सर्वधर्म विवाह सम्मेलनों का आयोजन करना एवं निर्धन परिवारों की कन्याओं के विवाह के लिए सहायता उपलब्ध करवाना।
17. बच्चों, युवाओं, महिलाओं, समाज के नेतृत्वकर्ताओं तथा स्वैच्छिक कार्यकर्ताओं में नेतृत्वक्षमता के लिए अवसर उपलब्ध करना।
18. मनारोग, कैंसर, सिलिकोसिस, एच आई वी/एड्स, मलेरिया एवं अन्य गंभीर बीमारियों से पीड़ितों को सहायता करना तथा रोगों के बचाव एवं उपचार के लिए जागरूकता के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन करना।
19. स्वास्थ्य सुविधा तथा विभिन्न सेवाएं वंचित व कमजोर वर्ग तक पंहुचे इसके लिए स्वयं सहायता समूह आंगनवाड़ी, महिला समूह, आशा एवं विभिन्न विभागव स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर कार्य करना।
20. गरीबी उन्मूलन के लिए स्वयं सहायता समूहों का गठन करना, फेडरेशन बनाना तथा उन्हें रोजगार से जोड़ने के लिए कार्य करना।
21. सरकारी एवं जनकल्याणकारी योजनाओं को योग्य एवं पात्र व्यक्तियों को लाभान्वित करने के लिए उनका प्रचार–प्रसार करना, शिविरों का आयोजन करना तथा पहुंच स्थापित करना।
22. जल प्रबन्धन तथा वर्षा जल संरक्षण के लिए कार्य करना।
23. भूमि सुधार तथा किसानों के कल्याण के लिए कार्य करना।
24. खान मजदूरों, कमठा मजदूर, ठेला मजदूर एवं दिहाड़ी मजदूरों के कल्याण के लिए कार्य करना।
25. बाल अधिकार, बाल विवाह, कन्या भ्रूण हत्या, बालश्रम तथा बालकों एवं बालिकाओं के लैंगिक उत्पीड़न, महिलाओ के मानसिक व लैंगिक उत्पीडन व कार्यस्थल पर लैंगिग उत्पीडन पर रोकने एवं संरक्षण के लिए कार्य करना।
26. उपभोक्ता संरक्षण एवं जागररूकता के लिए कार्य करना तथा भ्रष्टाचार मुक्त समाज के लिए कार्य करना।
27. दहेज प्रथा, पर्दा प्रथा, डायन प्रथा, अंधविश्वास, महिला उत्पीड़न, लैंगिक एवं यौन उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, कार्यस्थल पर यौन उत्पीडन तथा महिला अधिकारों पर कार्य करना।
28. प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण एवं प्रबन्धन तथा पर्यावरण से जुड़े तमाम पहलुओं पर कार्य करना।
29. हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए कार्य करना तथा लघु उद्योग स्थापित करने के लिए प्रत्सोहन करना तथा हस्तकला एवं शिल्पकला को बढ़ावा देने के लिए कार्य करना।
30. सड़क सुरक्षा एव यातायात नियमों के पालन पर कार्यशालाओं का आयोजन करना तथा समुदाय में जागरूकता के लिए कार्य करना।
31. गरीबों, वंचित और कमजोर वर्ग के लिए स्वच्छता, शुद्धता, शुद्ध पेयजल, एवं स्वास्थ्य के लिए कार्य करना।
32. महिलाओं एवं किशोरी बालिकाओं को महावारी प्रबन्धन तथा आरटीआई/यूटीआई सम्बन्धित समस्याओं पर जागरूकता करना।
33. समुदाय को विधिक, कानूनी एवं संवैधानिक अधिकारों की जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए विधिक जागरूकता शिविरों/कार्यशालाओं का आयोजन करना तथा पीड़ित पक्षकारों को न्याय दिलाने के सहायता करना। आम आदमी को न्याय उपलब्ध हो इसके लिए पैरवी करना।
34. विभिन्न मुद्दों पर सर्वे, अध्ययन, शोध करते हुए प्रतिवेदन तैयार करना एवं सूचना अधिकार अधिनियम के माध्यम से विभिन्न जानकारियां प्राप्त कर उनका प्रकाशन करना एवं तथ्यो के आधार पर कार्यवाही करना।

गरिमा कांजखेडिया
अध्यक्ष

सचिव

कोषाध्यक्ष

35. कृषि, वानिकी, पशुपालन, आवास, शिक्षा, शिक्षण, प्रशिक्षण, स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छता, पेयजल, मनोरंजन, सास्कृतिक, खेल, रोजगार, श्रम आदि से सम्बन्धित विज्ञान एवं औद्योगिकी का उपयुक्त प्रयोग करते हुए रचनात्मक प्रवृतियों के द्वारा मानव समुदाय विषेशकर कमजोर, निर्धन वर्गों, अनुसूचित जाति जन जाति, अल्पसंख्यक, आदिवासी, घुमन्तु, भिखारी, मंदबुधि व अन्य पिछड़ा वर्ग के उत्थान हेतु जन भागीदारी के द्वारा स्थाई विकास करते हुए मुख्यधारा से जोड़ना।
36. बेघर, अनाथ बच्चों/व्यक्तियों, एकल महिला, पीडित महिला, वृद्धजन, दिव्यांग, IIIrd ganration में सुरक्षा एवं संरक्षण हेतु प्रयास करना।
37. अस्पृश्यता, छूआछूत, जातिवादी व्यवस्था के उन्मूलन हेतु प्रयास करना तथा सफाई कर्मचारियों के स्वास्थ्य एवं मानव हित हेतु कार्य करते हुये अन्य प्रांतीय एवं परंप्रांतीय संस्थाओं, सरकारी/अर्द्धसरकारी विभागों एवं संगठनों के साथ सांमजस्य व नेटर्वकिंग स्थापित करते हुए सहयोग लेना व देना।
38. सरकारी, अर्द्धसरकारी एवं अन्य वित्तिय संस्थाओं से सहयोग प्राप्त करना।
39. युवाओं को आधुनिक शिक्षा के साथ–साथ कानूनी शिक्षा की जानकारी उपलब्ध कराकर मानसिक रूप से मजबूत बनाना।
40. विभिन्न सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन हेतु विशेष अभियान चलाना और विभिन्न संस्थाओं का सहयोग लेना व देना।

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में संस्था का कोई लाभ निहित नही हैं।

4. कार्य प्रणाली

1. उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु वह सब कार्य करना जो आवश्यक हो, जैसे कार्यालय, शाखाएं, उपकेन्द्र खोलना एवं उपसमितियां बनाना।
2. आर्थिक संसाधनजुटाना, व्यक्तियों, स्वयं सेवी संस्थाओं, सरकारी, अर्द्धसरकारी तथा अन्य वित्तिय संस्थाओं से दान, अनुदान, भेंट आदि प्राप्त करना।
3. चल एवं अचल सम्पति बनाना व उद्देश्यों की पूर्ति में बिना लाभ के उपयोग करना।

5. सदस्यता :– निम्न योग्यता रखने वाले व्यक्ति संस्था के सदस्य बन सकेंगें।

1. संस्था के कार्यक्षैत्र में निवास करते हो।
2. बालिग हो।
3. पागल व दीवालिया न हो।
4. भारत का नागरिक हों।
5. संस्था के हित को सर्वोपरि समझता हो।
6. अन्य संस्था का सदस्य न हो।

6. सदस्यों का वर्गीकरण :साधारण सभा सदस्य

7. सदस्यों द्वारा प्रदत

उपनियम संख्या 5 { क } में अंकित सदस्यों द्वारा निम्न प्रकार शुल्क/चन्दा देय होगा।

1. साधारण सदस्य व वार्षिक 100 रू.

उक्त राशि एक मुश्त कोषाध्यक्ष को जमा कराई जा सकेगीं।

8. संस्था के सदस्यो का निष्कासनः

सस्था के सदस्यो का निष्कासन निम्न प्रकार किया जा सकेगा।

1. मृत्यु होने पर

गरिमा कानखेडिया
अध्यक्ष

सचिव

कोषाध्यक्ष

2. त्याग–पत्र देने पर
3. संस्था के उदेश्यों के विपरित कार्य करने पर।
4. कार्यकारिणी द्वारा दोषी पाये जाने पर
5. समय पर सदस्यता शुल्क जमा नहीं कराने पर

उक्त प्रकार के निष्कासन की अपील 16 दिन के अन्दर–अन्दर लिखित मे आवेदन करने पर साधारण सभा के निर्णय हेतु वैध समझी जावेगी तथा साधारण सभा के बहुमत का निर्णय अंतिम होगा।

9. साधारण सभा :– संस्था के उपनियम 5 मे वर्णित समस्त प्रकार के सदस्य मिलकर साधारण सभा का निर्माण करेगें।

10. साधारण सभा के अधिकार व कर्तव्य :–साधारण सभा सर्वोतम सभा होगी एवं संस्था के सम्पूर्ण अधिक इसमें निहित होंगें।

1. कार्यकारणी का चुनाव करना।
2. वार्षिक बजट पारित करना।
3. कार्यकारिणी द्वारा किये गये कार्य की समीक्षा करना व पूष्टि करना।
4. संस्था के कुल सदस्यो के 2/3 बहुमत से विधान में संशोधन, परिवर्तन अथवा परिर्वन करना। जो रजिस्टार के कार्यालय में फाइल कराया जाकर प्रमाणित प्रतिलिपी प्राप्त कर लागू होगा। चुनाव अधिकारी की नियुक्ति करना। वार्षिक ऑडिटर की नियुक्ति करना।
5. संस्था की सम्पति आदि की सुरक्षा करना।
6. समय–समय पर कार्य समिति को आवश्यक दिशा निर्देश देना।

11.साधारण सभा की बैठकें :–

1. साधारण सभा की वर्ष में एक बैठक अनिवार्य होगी लेकिन आवश्यकता पड़ने पर सचिव द्वारा कभी बैठक बुलाई जा सकती है।
2. साधारण सभा की बैठक का कोरम कुल सदस्यो के 2/3 होगा।
3. बैठक की सूचना सात दिन पूर्व व अत्यावश्यक बैठक की सूचना तीन दिन पूर्व दी जावेगी।
4. कोरम के अभाव मे बैठक स्थगित की जा सकेगी जो पुनः 7 दिन पश्चात् निर्धारित समय व स्थान पर आहूत की जा सकेगी। ऐसी स्थगित बैठक मे कोरम की आवश्यकता नही होगी लेकिन विचारणीय विषय वहीं होगे जो पूर्व के ऐजेण्डा मे थे ।
5. संस्था के 1/3 या 15 सदस्यों मे जो भी कम हो के लिखित आवेदन करने पर सचिव/अध्यक्ष द्वारा एक माह के अन्दर बैठक आहूत अनिवार्य होगी। निर्धारित अवधि में अध्यक्ष/सचिव द्वारा बैठक बुलाये जाने पर उक्त 15 सदस्यों मे से कोई भी तीन सदस्य नोटिस जारी कर सकेगें तथा इस प्रकार की बैठक मे होने वाले निर्णय वैधानिक व सर्वमान्य होगे।

12.कार्यकारिणी का गठन:– संस्था के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक कार्यकारणी का गठन किया जावेगा,जिसके पदाधिकारी व सदस्य निम्न प्रकार होंगें।

1.	अध्यक्ष	एक
2.	उपाध्यक्ष	एक
3.	सचिव	एक
4.	कोषाध्यक्ष	एक
5.	सदस्य	तीन

इस प्रकार कार्यकारणी मे चार पदाधिकारी व तीन सदस्य कुल सात होगें।

गरिमा कानखेडिया
अध्यक्ष

सचिव

कोषाध्यक्ष

13. कार्यकारिणी का निवार्चन :–

1. संस्था का कार्यकारिणी का चुनाव तीन वर्ष की अवधि के लिए साधारण सभा द्वारा किया जायेगा।
2. चुनाव प्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा किया जावेगा।
3. चुनाव अधिकारी की नियुक्ति कार्यकारणी द्वारा की जावेगी।

14. कार्यकारिणी के अधिकार व कर्तव्य :–

1. सदस्य बनाना / निष्कासित करना।
2. वार्षिक बजट तैयार करना ।
3. संस्था की सम्पति की सुरक्षा करना।
4. कर्मचारियो के वेतन भत्तों का निर्धारण करना।
5. साधारण सभा द्वारा पारित निर्णय को कियान्वयन करना।
6. कार्य व्यवस्था हेतु उप समितियॉ बनाना।
7. अन्य कार्य जो संस्था के हितार्थ हो करना ।

15. कार्यकारिणी की बैठकें :–

1. कार्यकारणी की वर्ष मे कम से कम दो बैठके अनिवार्य रूप होगी लेकिन आवश्यकता होने पर अध्यक्ष व सचिव द्वारा कभी भी बुलाई जा सकती है।
2. बैठक का कोरम कार्यकारणी की कुल सख्या से आधे से अधिक होगा।
3. बैठक की सूचना प्रायः सात दिन पूर्व दी जावेगी तथा आवश्यक बैठक की सूचना परिचालन से कम समय में भी दी जा सकती है।
4. .कोरम के अभाव मे बैठक स्थगित की जा सकेगी जो पुनः दूसरे दिन निर्धारित समय व स्थान पर आहूत की जा सकेगी। ऐसी स्थगित बैठक मे कोरम की कोई आवश्यकता नही होगी लेकिन विचारणीय विषय वहीं होगे जो पूर्व के ऐजेण्डा मे थे। ऐसी स्थगित बैठक में उपस्थित सदस्यों के अलावा कार्यकारणी के कम से कम दो पदाधिकारियो की उपस्थिति अनिवार्य होगी। इस सभा की कार्यवाही की पुष्टी आगामी आम सभा मे करना आवश्यक होगा।

16. कार्यकारिणी के पदाधिकारीयों के अधिकार व कर्तव्य :–

(1) अध्यक्षः

बैठको को अध्यक्षता करना।
मत बराबर आने पर निर्णायक मत देना ।
बैठके आहूत करना।
संस्था का प्रतिनिधित्व करना।
संविदा व अन्य दस्तावेजो पर हस्ताक्षर करना।

(2) उपाध्यक्षः

अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष के समस्त अधिकारों का प्रयोग करना।
कार्यकारणी द्वारा प्रदत अन्य अधिकारों का प्रयोग करना।

(3) सचिव :

बैठक अध्यक्ष की आज्ञा से आहुत करना ।
कार्यवाही लिखना तथा रिकार्ड रखना।
आय– व्यय पर नियन्त्रण रखना।
वैतनिक कर्मचारियो पर नियन्त्रण रखना तथा उनके वेतन व यात्रा बिल आदि पास करना।
संस्था का प्रतिनिधित्व करना तथा कानूनी दस्तावेजो पर संस्था की और से हस्ताक्षर करना।
पत्रा व्यवहार करना।

गरिमा कानखेडिया
अध्यक्ष

सचिव

कोषाध्यक्ष

संस्था की सम्पति की सुरक्षा हेतू अन्य कार्य जो आवभयक हो करना।
बैंक के खातों व चैंक का सचांलन करना।
वैतनिक कर्मचारियो की नियुक्ति करना एवं कार्य सन्तोषजनक नही होने पर एंव निष्कासित करना।

(4) कोषाध्यक्षः

वार्षिक लेखा–जोखा तैयार करना ।
दैनिक लेखो पर नियन्त्रण करना।
चन्दा / शुल्क / अनुदान आदि प्राप्त करना व रसीद देना।

17. संस्थान का कोष :– संस्था का कोष निम्न प्रकार से संचित होगा।

1. चन्दा
2. शुल्क
3. अनुदान
4. सहायता
5. राजकीय अनुदान

1. उक्त प्रकार से संचित राशि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा की जावेगी।
2. अध्यक्ष/सचिव/कोषाध्यक्ष में से किन्ही दो पदाधिकारियों के संयुक्त हस्ताक्षरों से बैंक से लेन–देन संभव होगा।

18. कोष सम्बन्धी विशेषाधिकार :–

संस्था के हित में तथा कार्य व समय की आवश्यकतानुसार निम्न पदाधिकारी संस्था की राशि
एक मुश्त में स्वीकार कर सकेगेः–

1. अध्यक्ष 50,000रू
2. सचिव 25,000रू
3. कोषाध्यक्ष 10,000रू

19. संस्था का अंकेक्षणः– संस्था के समस्त लेखों जोखों का वार्षिक अंकेक्षण कराया जावेगा, व ऑडिटर की नियुक्ति साधारण सभा द्वारा की जायेगी।

20. संस्था का विधान में परिवर्तन :– संस्था के विधान में आवश्यकतानुसार साधारण सभा के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से परिवर्तन, परिवर्द्वन अथवा संशोधन किया जा सकेगा जो राजस्थान रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 की धारा 12 के अनुरूप होगी।

21. संस्था का विघटनः– यदि संस्था का विघटन आवश्यक हुआ तो संस्था की समस्त चल व अचल सम्पति समान उदेश्यों वाली संस्था को हस्तान्तरित कर दी जायेगी। लेकिन उक्त समस्त कार्यवाही राजस्थान रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 की धारा 13 व 14 के अनुरूप होगी।

22. संस्था के लेखों जोखों का निरीक्षण :– रजिस्ट्रार संस्थाए जोधपुर अथवा उसके प्रतिनिधि को संस्था के रिकॉर्ड का निरीक्षण करने का पूर्ण अधिकार होगा व उनके द्वारा दिये गये सुझावों की पूर्ति की जायेगी।

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त **सेन्टर फॉर एम्पॉवरमेन्ट ऑफ वीकर सेक्शन (सिअस) (Center for Empowerment of Weaker Section - CEWS)** है व रहेगा। गरिमा कानखेडिया **W/O** मनोज तंवर, क्वार्टर न. 80, Type III, केन्द्रान्चल कॉलोनी, कुडी भगतासनी, जोधपुर।

गरिमा कानखेडिया
अध्यक्ष

सचिव

कोषाध्यक्ष